गलत उपाय

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (भारतीय राजव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

22 जनवरी, 2022

राज्यों ने आईएएस, आईपीएस प्रतिनियुक्ति पर प्रस्तावित नियमों में बदलाव पर सही सवाल उठाया है।

यह एक अच्छी तरह से समझी जाने वाली कहावत है कि गलत उपाय किसी बीमारी को बढ़ा सकता है और उसका इलाज नहीं कर सकता है।

यह केंद्र सरकार (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी) के आईएएस (कैडर) नियम 1954 के कैडर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित नियम 6 में संशोधन के प्रस्तावों के लिए एक दम सही बैठती है। रिपोर्टों से पता चला है कि राज्यों से केंद्र सरकार में की गई प्रतिनियुक्तियां असमान हैं।

कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार के साथ काम करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों को नामित नहीं किया है; इसमें पश्चिम बंगाल (280 में से 11 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं), राजस्थान (247 में से 13) और तेलंगाना (208 की अधिकृत संख्या में से 7) बाहर हैं। इससे केंद्र सरकार के मंत्रालयों में रिक्तियां आ गई हैं। द हिंदू द्वारा जुटाए किए गए आंकड़े बताते हैं कि अनिवार्य रिजर्व के प्रतिशत के रूप में वास्तविक प्रतिनियुक्ति 69% (2014) से गिरकर 30% (2021) हो गई, यह सुझाव देते हुए कि डीओपीटी की प्रतिनियुक्ति में कमी की पहचान एक मुद्दा है।

लेकिन क्या इसके लिए डीओपीटी द्वारा प्रस्तावित नियमों में बदलाव की आवश्यकता है, जिसमें केंद्र सरकार के लिए अधि भावी शक्तियां प्राप्त करना शामिल है जो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए राज्यों से अनुमोदन प्राप्त करने से दूर हो जाएगी?

दो नियम विशेष रूप से समस्याग्रस्त हैं- केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच किसी भी असहमति के मामले में, राज्य पूर्व के निर्णय को "एक विशिष्ट समय के भीतर" लागू करेंगे। और कुछ "विशिष्ट स्थितियों" में, राज्यों को कुछ सवर्गों की प्रतिनियुक्ति करनी होगी जिनकी सेवाएं केंद्र सरकार द्वारा मांगी जाती हैं।

ये परिवर्तन राज्यों और अनिच्छुक नौकरशाहों को केन्द्र सरकार की सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त करने और "विशिष्ट परिस्थितियों" के लिए राज्यों को एक उपलब्धि प्रस्तुत करने के लिए राशि देते हैं जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है और गलत व्याख्या और राजनीतिकरण की संभावना है। इन प्रस्तावित परिवर्तनों ने आश्चर्यजनक रूप से राज्य सरकारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जैसा कि महामारी के दौरान शासन की जिम्मेदारियों ने दिखाया है, राज्य नौकरशाही पर काफी निर्भर हैं, और केंद्र सरकार को प्रतिनियुक्ति राज्य की आवश्यकताओं की कीमत पर नहीं की जानी चाहिए।

साथ ही, केन्द्र सरकार को सक्षम सिविल सेवकों की राज्यों से दूर प्रतिनियुक्ति की अनिच्छा के प्रमुख प्रश्न का समाधान करना चाहिए। रिपोर्टों ने संकेत दिया है कि सिविल सेवकों ने केन्द्र सरकार के कार्यालयों में ऊपर से नीचे की संस्कृति को दमदार पाया है और राज्य स्तर पर सापेक्ष स्वायत्तता को प्राथमिकता देते हैं।

इस तरह की कार्य संस्कृति के मुद्दों से निपटने के लिए स्पष्ट रूप से अधिक गुणात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके अलावा, एक राज्य-दर-राज्य प्रतिनियुक्ति पर नजर डालें जो उन राज्यों को हतोत्साहित करता है जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य के कैडर की ताकत की समीक्षा को समायोजित करके केन्द्र सरकार को अनिवार्य संख्या से बहुत नीचे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करते हैं, उन्हें भी कमी की समस्या का समाधान करना चाहिए। ये कदम किसी भी नियम परिवर्तन से बेहतर हैं जो कि संघवाद पर प्रहार करने वाले है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे कम अधिकारी केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजे हैं?

(क) पश्चिम बंगाल

(ख) महाराष्ट्र

(ग) केरल

(घ) राजस्थान

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Which of the following states has sent the least number of officers to the Center on deputation?

(a) West Bengal

(b) Maharashtra

(c) Kerala

(d) Rajasthan

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. वर्तमान में राज्य और केंद्र के मध्य सिविल सेवा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के मामले में विवाद का कारण क्या है? केंद्र द्वारा इसके लिए सुझाए गए समाधान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

Q. At present, what is the cause of dispute between the state and the center in the matter of deputation of civil service officers? Critically evaluate the solution suggested by the Center for this. (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।